अध्याय 9

भारत का संविधान

संविधान किसी देश के आधारभूत कानूनों का संग्रह होता है। इसके द्वारा न केवल सरकार का गठन होता है अपितु सरकार और नागरिकों के आपसी संबंधों का निर्धारण भी होता है। संविधान देश की सरकार के विभिन्न अंगों अर्थात् व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का स्वरूप तय करता है, उनकी शक्तियों व सीमाओं का फैसला करता है। इसके अतिरिक्त नागरिकों के क्या अधिकार होंगे? क्या कर्त्तव्य होंगे? किसको कितना कर देना है? पुलिस कैसी होगी? न्यायालय कैसे होंगे?, आदि सभी बातों का निर्धारण भी देश के संविधान द्वारा होता है। इस प्रकार संविधान किसी राष्ट्र का जीवन्त प्रतिरूप होता है। लोकतंत्र में शक्ति जनता में निहित होती है। अपने आदर्श रूप में तो इस शक्ति का प्रयोग स्वयं जनता को ही करना चाहिए जैसा कि प्राचीन भारत में 'सभा' एवं 'समिति' के द्वारा किया जाता था, लेकिन वर्तमान में राष्ट्रों के आकार बहुत बड़े हैं, जहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र का होना सम्भव नहीं है। आजकल प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र का युग है, जहां जनता वयस्क मताधिकार के द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वे प्रतिनिधि शासन का कार्य करते हैं। जनता अपनी इस शक्ति का सबसे पहला प्रयोग तब करती है जब वह अपने लिए एक संविधान का निर्माण करती है। यह संविधान लिखित व निर्मित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है और विकसित भी। जैसे भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि का संविधान निर्मित और लिखित है, जबकि इंग्लैण्ड का संविधान अलिखित व विकसित माना जाता है।

भारत अपने प्राचीन गौरवपूर्ण एवं प्रेरक अतीत के बाद मध्यकाल से ही विदेशी आक्रमणों का शिकार रहा है। इन विदेशी आक्रान्ताओं ने अपने क्रूरतम तरीकों से भारतीयों पर शासन किया। उनके प्रयास जनता को संतुष्ट करने की बजाय अपने धर्म का विस्तार करना और सम्पत्ति को एकत्रित करना ही था। फिर भारत ब्रिटिश उपनिवेशवाद का शिकार बना। ईस्ट इण्डिया कम्पनी, जो कि 1600 ई. में व्यापार के लिए निर्मित हुई थी, धीरे–धीरे वह भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगी। 1757 ई. में प्लासी के युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध के पश्चात् भारत का बड़ा भाग इस कम्पनी के अधीन हो गया। अब कम्पनी के सामने यह प्रश्न था कि भारत पर शासन किन कानूनों के माध्यम से करें? अतः उसने ब्रिटिश सरकार से भारतीय प्रशासन के लिए कानून बनाने का आग्रह किया। तब लम्बे समय तक भारत के लिए ब्रिटिश पार्लियामेण्ट कानून बनाती थी, जैसे रेग्युलेटिंग एक्ट, पिट्स इण्डिया एक्ट, 1813 ई. का एक्ट, 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम और 1935 का अधिनियम आदि। इधर भारत में धीरे–धीरे राजनीतिक जागरण होने लगा, जिसकी प्रेरणा स्वामी दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द, महर्षि अरविन्द वीर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक इत्यादि मनीषियों के चिन्तन से मिली। इस प्रकार बीसवीं सदी के प्रारम्भ तक संविधान निर्माण की मांग स्वतंत्रता की मांग के साथ अभिन्न रूप से जुड़ चुकी थी। 1922 ई. में महात्मा गांधी ने संविधान निर्माण की मांग प्रस्तुत की। 1925 ई. में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें संविधान निर्माण से संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ।

जब सन् 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारम्भ हुआ, तब ब्रिटिश सरकार को युद्ध में भारतीय सहायता की तीव्र आवश्यकता थी। इसलिए 1940 ई.को 'अगस्त प्रस्ताव' में पहली बार अंग्रेजों ने भारतीयों की संविधान निर्माण की मांग को स्वीकार किया। जुलाई, 1945 में इंग्लैण्ड में लेबर पार्टी की नई सरकार सत्ता में आई, जिसने जल्दी ही भारत को स्वतंत्र करने एवं संविधान निर्माण के संकेत दिए। मार्च, 1946 में सरकार ने एक तीन सदस्यीय आयोग भारत भेजा, जिसे 'केबिनेट मिशन' कहते हैं। केबिनेट मिशन की योजना से भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ, जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया। मिशन का यह मानना था कि संविधान सभा के गठन की सबसे संतोषजनक स्थिति यह होती

हैं कि उसका गठन व्यस्क मताधिकार द्वारा चुनाव के माध्यम से किया जाए, लेकिन मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान निर्माण की माँग को लेकर हिंसक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी, जिसके कारण कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई। सन् 1935 में भारत शासन अधिनियम से भारतीय प्रान्तों में विधान सभाओं का गठन किया था। इन विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। केबिनेट मिशन ने विधान सभा के इन निर्वाचित विधायकों को यह अधिकार दिया कि वे अपने–अपने प्रान्त के संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन करें। मोटेतौर पर दस लाख लोगों पर संविधान सभा का एक सदस्य होना निर्धारित किया गया। जैसे किसी प्रान्त की जनसंख्या एक करोड़ थी, तब उस प्रान्त से सभा के दस सदस्य होंगे, जिनका चुनाव प्रान्तीय विधान सभा के सदस्य करेंगे। उस समय भारत दो भागों में बँटा हुआ था – ब्रिटिश प्रान्त और देशी रियासतें। देशी रियासतों के लिए भी संविधान सभा की सदस्यता हेतु जनसंख्या का मापदण्ड वही रखा गया लेकिन चूंकि देशी रियासतों में विधान सभाएँ नहीं थी इसलिए वहाँ से संविधान सभा के सदस्यों का मनोनयन होना तय हुआ। इस तरह भारतीय संविधान सभा में निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरह के सदस्य थे।

संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई, जिनमें से 296 ब्रिटिश भारत से व 93 सदस्य देशी रियासतों से लिए जाने थे। जुलाई, 1946 को संविधान सभा के 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को 208 स्थान प्राप्त हुए, जबकि मुस्लिम लीग को केवल 73 स्थान हासिल हुए। अन्य स्थान छोटे दलों में विभक्त हो गये। उधर 3 जून, 1947 की 'माउण्टबेटन योजना' से देश का साम्प्रदायिक आधार पर विभाजन तय हो गया। मुस्लिम लीग की इस मांग को मान लिया गया कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की स्थापना की जाये। इसलिए संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ और इसकी संख्या 324 निर्धारित हुई। अन्तिम रूप से 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए। देशी रियासतों के सदस्य अलग–अलग समय में संविधान सभा में शामिल हुए। राजस्थान की विभिन्न रियासतों से कुल 13 सदस्य संविधान सभा में शामिल हुए। हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी, जिसका कोई प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था।

संविधान सभा का 9 दिसम्बर, 1946; सोमवार को प्रातः 11 बजे संसद के केन्द्रीय हॉल में विधिवत उद्‌घाटन हुआ। पहली बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया था। सच्चिदानन्द सिन्हा को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसम्बर, 1946 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थाई अध्यक्ष चुना गया। बी.एन. राव वैधानिक सलाहकार बनाए गये। 13 दिसम्बर, 1946 को पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसे 22 जनवरी, 1947 को पारित किया गया। संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों का गठन किया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थी, जिसका गठन अगस्त, 1947 को हुआ। सात सदस्यीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेडकर थे, जो विख्यात वकील और कानूनी मामलों के जानकार थे। संविधान का प्रारूप (ड्राफ्ट) बनाने का कार्य प्रारूप समिति का ही था। इस प्रारूप को संविधान सभा वाद–विवाद, बहस और मतदान के बाद पारित करती थी। इसलिए अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहते हैं।

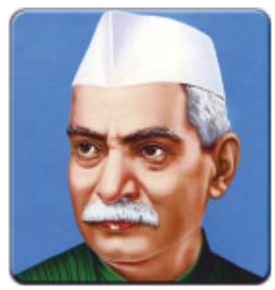
डॉ. राजेन्द्रप्रसाद

डॉ. भीमराव अम्बेडकर

विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने फरवरी, 1948 में पहला प्रारूप प्रकाशित किया। भारत के लोगों को इस पर विचार करने और सुझाव देने के लिए आठ माह का समय दिया। उन सुझावों और संशोधनों के अनुरूप प्रारूप बनाकर नवम्बर, 1948 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस प्रारूप का संविधान सभा में तीन बार वाचन हुआ। 26 नवम्बर, 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। इसी दिन भारतीय संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हुआ। संविधान सभा की अन्तिम बैठक 24 जनवरी, 1950 को हुई, जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। 26 जनवरी, 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। मूल संविधान में एक प्रस्तावना जिसे उद्देशिका भी कहते हैं, आठ अनुसूचियाँ, 22 भाग

व 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में अनुसूचियाँ 8 से बढ़ाकर 12 हो गई है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, सार और उनको समझने की कुंजी समझा जाता है। संविधान सभा ने भारतीय संविधान के निर्माण के अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी किए। जुलाई, 1947 को उसने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया और जनवरी, 1950 में राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया तथा डॉ. राजेन्द्रप्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति निर्वाचित किया, जिन्होंने 26 जनवरी, 1950 को शपथ ली। इसके साथ ही गणतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में भारत का उदय हुआ।

इस तरह संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में लगभग 64 लाख रूपये खर्च कर भारतीय संविधान निर्माण का ऐतिहासिक कार्य पूरा किया किन्तु संविधान के पूरा होने से ही हमारी यात्रा पूरी नहीं हो जाती है। डॉ. अम्बेडकर ने नवम्बर, 1949 को संविधान सभा में कहा, "मैं महसूस करता हूँ कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि वे लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाएगा, वे खराब निकले तो निश्चित रूप से संविधान भी खराब सिद्ध होगा।"

डॉ. राजेन्द्रप्रसाद ने अपने समापन भाषण में कहा, "यदि लोग, जो चुनकर आयेंगे, योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यदि उनमें गुणों का अभाव हुआ तो संविधान देश की कोई मदद नहीं कर सकता।"

प्रत्येक संविधान उसके संस्थापकों एवं निर्माताओं के आदर्शों, सपनों तथा मूल्यों का दर्पण होता है। वह संविधान निर्विघ्न अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके, इसके लिए हमें उत्तरदायी नागरिक, बलिदानी और राष्ट्रवादी बनना होगा।

भारतीय संविधान की विशेषताएँ

भारतीय संविधान विश्व का अनूठा संविधान है। इसकी अनेक ऐसी विशेषताएँ है जो इसे विश्व के अन्य संविधानों से अलग करती है, जो निम्नलिखित हैं:—

1. **विश्व का सबसे बड़ा संविधान** — भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। संविधान में केवल संघ सरकार की शासन व्यवस्था का प्रावधान है अपितु राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था का भी उसमें वर्णन है। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान तुलनात्मक रूप से छोटा संविधान है। इसका कारण यह है कि वहाँ राज्यों के अपने अलग संविधान है, जबकि भारत में राज्यों के अलग संविधान नहीं है।

2. **संघात्मक व्यवस्था** — संघ सरकार और राज्य सरकारों के आपसी संबंधों के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते है — संघात्मक एवं एकात्मक। जिस संविधान के द्वारा संघ सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा हो और इस बंटवारे की स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका हो, उसे संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। भारतीय संविधान द्वारा संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच तीन सूचियों — संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची द्वारा शक्तियों का बंटवारा किया गया है। भारत के विशाल आकार, विविधता, बड़ी जनसंख्या आदि के कारण संघात्मक व्यवस्था अपनाना स्वाभाविक ही था।

3. **एकल नागरिकता** — यह भारतीय संविधान की एक अनुपम विशेषता है। सामान्यतः संघीय व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होती है। एक देश की एवं दूसरी उस राज्य की जहाँ वे रहते है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में लेकिन भारत में संघात्मक व्यवस्था होते हुए भी इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। हम सब भारतीय नागरिक हैं, राज्य में निवास करने का अर्थ राज्य की अलग नागरिकता नहीं है। यह भारत राष्ट्र की एकता और राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक है।

4. **संसदात्मक व्यवस्था** — सरकार के तीन अंग होते हैं — व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका व कार्यपालिका के आपसी संबंधों के आधार पर संविधान संसदात्मक या अध्यक्षात्मक हो सकता है। भारत की कार्यपालिका अर्थात् प्रधानमंत्री एवं मंत्रीपरिषद् अपने कार्यों एवं कार्यकाल के लिए व्यवस्थापिका अर्थात् संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ऐसी व्यवस्था को संसदात्मक व्यवस्था कहते हैं।

5. **न्यायपालिका की स्वतंत्रता** — न्यायपालिका सरकार की अन्य दो अंगों से स्वतंत्र है, यह संविधान की अन्य उल्लेखनीय विशेषता है। न्यायपालिका अर्थात् सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने एवं संविधान की

सुरक्षा करने का अधिकार प्राप्त है।

6. **वयस्क मताधिकार** – भारतीय संविधान की यह एक विशिष्ट विशेषता है कि इसने भारत में बिना किसी भेदभाव के सभी को सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार प्रदान किया। प्रारम्भ में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, जिसे अब 18 वर्ष कर दिया गया। दुनियाँ के अनेक देशों में वयस्क मताधिकार के लिए लम्बा संघर्ष करना पड़ा था लेकिन व्यापक निरक्षरता एवं अल्प राजनीतिक अनुभव के बावजूद सभी भारतीयों को यह बिना किसी भेदभाव प्राप्त हो गया।

7. **मौलिक अधिकार** – बिना अधिकारों के नागरिकों का सर्वांगीण विकास सम्भव नहीं है। संविधान निर्माता इस बात से अवगत थे। संविधान के भाग तीन में कुल छः मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन अधिकारों का दुरूपयोग नहीं हो, इसलिए इन सबके ऊपर युक्तियुक्त प्रतिबन्ध की व्यवस्था भी की गई है।

8. **नीति निर्देशक तत्व** – जो अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक हैं और जिन्हें संविधान निर्माता अधिकार बनाना चाहते थे, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण उन्हें मूल अधिकार नहीं बनाया जा सकता था, उन्हें निर्देशक तत्वों में शामिल किया। राज्य के लिए इन तत्वों को लागू करना अनिवार्य नहीं है लेकिन यह राज्य के समक्ष आदर्श के रूप में रहेंगे और राज्य नीति निर्माण के समय इन तत्वों से निर्देशित होगा।

9. **संविधान के विभिन्न स्रोत** – वर्तमान में कोई भी संविधान मौलिक होने का दावा नहीं कर सकता। प्रत्येक संविधान किसी अन्य संविधान से प्रेरित होता है। भारतीय संविधान के कई प्रावधान भी दूसरे संविधानों से प्रेरित है। मौलिक अधिकारों की धारणा और स्वतंत्र व सर्वोच्च न्यायपालिका की धारणा अमेरिकी संविधान से प्रेरित है तो संसदात्मक व्यवस्था ब्रिटिश संविधान से ली गई है। गणतंत्र फ्रांसिसी संविधान से लिया गया है, जबकि नीति निर्देशक तत्व आयरलैण्ड से प्रेरित है।

संविधान में मौलिक अधिकार

अधिकार व्यक्ति के विकास के वे दावे होते हैं, जिन्हें समाज और राज्य स्वीकार करता है, जब उन अधिकारों का वर्णन देश के संविधान में हो और जिनको न्यायपालिका द्वारा "न्यायिक सुरक्षा" प्राप्त हो, तब ऐसे अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं। मौलिक अधिकारों का वर्णन लोकतांत्रिक संविधान की प्रमुख विशेषता होती है, भारतीय संविधान निर्माता इसके बारे में सचेत थे। संविधान निर्माण के लिए गठित विभिन्न समितियों में एक मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति भी थी। संविधान निर्माता चाहते थे कि इन अधिकारों में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा एवं वैदिक काल से इस देश के लोगों द्वारा संजोए आधारभूत मूल्यों का समावेश हो, इसलिए मूल अधिकारों वाले भाग पर कुल 38 दिनों तक चर्चा हुई। डॉ. एस. राधाकृष्णन ने मूल अधिकारों को हमारी भावना के साथ किया गया वादा तथा सभ्य विश्व के साथ की गई संधि कहा था। वास्तव में मौलिक अधिकारों द्वारा राष्ट्र की एकता व अखण्डता की सुरक्षा के साथ जनता के हितों की रक्षा के कठिन कार्य को करने का प्रयास किया गया है। यही कारण है कि इन अधिकारों का जितना विस्तृत वर्णन भारतीय संविधान में है, उतना व्यापक वर्णन विश्व के और किसी भी देश के संविधान में नहीं है।

भारतीय संविधान के भाग–3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मूल रूप से कुल सात मौलिक अधिकार प्रदत्त थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा "सम्पत्ति के अधिकार" को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बनाने के कारण वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, यथा–

1. **समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14–18)** – संविधान निर्माता समाज में व्याप्त असमानताओं के प्रति सचेत थे। वे जानते थे कि जब तक इन असमानताओं का अन्त नहीं किया जाएगा, तब तक स्वतंत्रता के अधिकार का कोई औचित्य नहीं होगा, इसलिए उन्होंने समानता के अधिकार को पहला मौलिक अधिकार बनाया। समानता के अधिकार के अनुसार किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के कारण

भेदभाव नहीं करेगा तथा दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघरों के उपयोग पर उपर्युक्त में से किसी कारण से पाबन्दी नहीं लगाई जा सकती। सरकारी पदों पर नियुक्ति के बारे में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किया गया है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी नागरिक को किसी सरकारी सेवा या पद के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं आदि के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, जिनमें आरक्षण भी शामिल है। इसके अलावा समानता के अधिकार में ही अस्पृश्यता अथवा छुआछूत का अन्त कर उसे दण्डनीय अपराध बनाया गया है और सभी तरह की उपाधियों का अन्त कर दिया गया, जिससे कि नागरिकों में किसी तरह की असमानता प्रकट नहीं हो सके। केवल सैनिक वीरता व विद्या कौशल के लिए सम्मान रूप में परमवीर चक्र, महावीर चक्र, भारत रत्न, पदम सम्मान आदि दिए जा सकते हैं।

इस तरह समानता के अधिकार में संविधान न केवल कानूनी समानता अपितु सामाजिक समानता की स्थापना पर भी जोर देता है, जिससे कि एक समरस समाज की स्थापना की जा सके।

2. **स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19–22)**– समानता के अधिकार के बाद संविधान स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, जिससे कि नागरिक अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास कर सके। देश के सभी नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति करने की, शान्तिपूर्ण व बिना शस्त्रों के सम्मेलन करने की, किसी तरह का संगठन बनाने की, भारत में कहीं पर भी घुमने–फिरने की और निवास करने की तथा कोई भी पेशा, नौकरी, व्यवसाय आदि आजीविका की स्वतंत्रता प्राप्त है लेकिन इन सारी स्वतंत्रताओं पर युक्तियुक्त अथवा उचित प्रतिबन्ध लगाए जा सकते हैं। भाषण की स्वतंत्रता का अर्थ किसी का अपमान करना, न्यायालय की अवमानना करना या सदाचार और नैतिकता का उल्लंघन करना नहीं है। व्यक्ति समाज के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए उसको इसी सीमा तक स्वतंत्रता है कि दूसरे लोगों की स्वतंत्रता में किसी तरह की बाधा नहीं पहुँचे।

संविधान यह अधिकार भी प्रदान करता है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि उसने ऐसा कार्य करते समय किसी प्रचलित विधि का अतिक्रमण नहीं किया हो। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दुबारा दण्डित नहीं किया जा सकता। इसी तरह किसी व्यक्ति को अपने विरूद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 21 में है, जो प्राण और देहिक स्वतंत्रता अर्थात् जीवन का अधिकार प्रदान करता है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या देहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। 86वें संविधान संशोधन, 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21–क में जीवन के अधिकार में शिक्षा के अधिकार को शामिल करते हुए कहा गया कि राज्य छः वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इसके अतिरिक्त यह भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि किसी व्यक्ति को कैद किया गया है तो उसे शीघ्र ही गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराना होगा। उसे अपनी इच्छा के किसी वकील की सहायता लेने से भी नहीं रोका जा सकता। पुलिस का कर्त्तव्य है कि वह बन्दी व्यक्ति को 24 घण्टे के अन्दर ही न्यायालय में प्रस्तुत करें।

3. **शोषण के विरूद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23, 24)** – कोई व्यक्ति राज्य अथवा किन्हीं दूसरे व्यक्तियों के शोषण का शिकार नहीं हो, इसलिए संविधान शोषण के विरूद्ध अधिकार प्रदान करता है। इसके अनुसार मानव के दुर्व्यवहार, बेगार प्रथा और जबरन श्रम पर रोक लगाई गई है। चौदह वर्ष से कम आयु के लड़के–लड़कियों को किसी कारखाने, खान या अन्य खतरनाक कार्यों में लगाने पर रोक लगाकर बाल श्रम का अन्त कर दिया गया है।

4. **धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25–28)** –

धर्म भारतीय समाज का संवेदनशील मुद्दा रहा है। मध्यकालीन भारत का इतिहास गवाह है कि शासकों के धर्म

से अलग किसी धर्म को मानने वालों को या तो मरवा दिया जाता था या फिर शासक का धर्म स्वीकार करने को मजबूर किया जाता था। अतः संविधान निर्माताओं ने धर्म व अन्तःकरण के अधिकार को मौलिक अधिकारों में स्थान दिया है। सभी व्यक्तियों को धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार दिया गया है लेकिन लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर इस पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। इसी तरह यह किसी के धर्मान्तरण का अधिकार भी प्रदान नहीं करता है। सेवा, चिकित्सा, शिक्षा के द्वारा अथवा किसी को बहला–फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवाने के प्रयासों को न्यायपालिका कई बार गैर–संवैधानिक बता चुकी है।

इसके साथ–साथ धार्मिक कार्यों के प्रबन्धन के लिए धार्मिक संस्थाओं जैसे मंदिर, मठ, गुरूद्वारा आदि की स्थापना करने के अधिकार को भी मौलिक अधिकार बनाया गया है। यह प्रावधान भी किया गया है कि सरकार की सहायता से पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती।

5. **संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29, 30)** भारतीय संविधान ने यह एक अनुपम व्यवस्था की है कि मौलिक अधिकारों में भी संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की सुरक्षा करता है। इसके अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। साथ ही धर्म और भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रूचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और संचालन का अधिकार होगा।

6. **संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32) –** केवल संविधान में अधिकारों का वर्णन करना ही पर्याप्त नहीं है अपितु ऐसी व्यवस्था करना भी आवश्यक है कि अधिकारों को लागू किया जा सके एवं उनका उल्लंघन नहीं हो सके। संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जो अधिकारों की सुरक्षा करता है। इसके अन्तर्गत हर नागरिक को यह अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। न्यायालय मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए पाँच तरह के प्रादेश या रिट जारी करता है – बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण रिट। इसके महत्व को बताते हुए डॉ. अम्बेडकर ने इसे 'संविधान का ह्रदय व आत्मा' की संज्ञा दी थी।

राज्य के नीति–निर्देशक तत्व

संविधान के भाग चार में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। आयरलैण्ड के संविधान से प्रेरित यह भाग, भारत को लोक कल्याणकारी राज्य बनाता है। जहां मौलिक अधिकार व्यक्तिगत विकास के साधन हैं, वहीं निर्देशक तत्व सामूहिक सामाजिक उन्नति के साधन भी है। इन निर्देशक तत्वों में ऐसी बातों का समावेश किया है, जिनके लागू होने पर लोगों का सामाजिक–आर्थिक विकास हो सकेगा। इन तत्वों को लागू करने के लिए राज्य को विशाल आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होगी, इसलिए भावी सरकारों के लिए इन तत्वों को लागू करवाना बाध्यकारी नहीं बनाया गया है अर्थात् इनके लागू नहीं होने की स्थिति में न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। इस तरह निर्देशक तत्व 'अवाद योग्य' हैं, जबकि मौलिक अधिकार 'वाद योग्य' है। वास्तव में, यह तत्व राज्य के कर्त्तव्य है, राज्य के लिए आदर्श के रूप में हैं, राज्य अपनी नीतियों का निर्माण इस तरह से करें कि अधिकाधिक तत्वों को लागू किया जा सके। संविधान में ऐसी नीतियों की एक निदेशक सूची रखी गई, जिन्हें देखने से स्पष्ट होता है कि यह ऐसे अधिकार हैं, जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए।

सरकार ने कुछ निर्देषक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया है। कई कारखाना कानूनों का निर्माण कर एवं न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण कर श्रमिकों के कल्याण का प्रयास किया है। कुटीर एवं लघु उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए भी सरकारों ने अनेक कदम उठाए हैं। सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कई कल्याणकारी कार्य किए हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य एवं प्रसूति सहायता के बारे में भी सरकार ने अनेक प्रावधान किए है। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के प्रयास के तहत शिक्षा के

अधिकार को लागू किया गया है। पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देकर लागू किया गया है। कुछ सीमा तक नरेगा योजना के द्वारा काम के अधिकार की भी गारण्टी दी गई है। स्कूली बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था कर उनके पोषण स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास किया गया है। सरकार ने सार्वजनिक बीमा योजना को आम व्यक्ति तक पहुँचाने के प्रयास कर तथा अधिक से अधिक लोगों को बैंक खातों से जोड़कर उन्हें सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा देने के प्रयास भी किए हैं। लेकिन अभी तक ऐसे अनेक निर्देशक तत्व भी है, जिनकी ओर सरकारों का पूरा ध्यान नहीं गया है।

स्त्री व पुरूष को आज भी अनेक क्षेत्रों में समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जा रहा है। आय की असमानता कम होने की बजाय और अधिक हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य को निर्देशित किया गया है कि "राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की स्थापना करने का प्रयास करेगा।" अर्थात् देश के सभी नागरिक अपने सामाजिक जीवन अर्थात् विवाह, तलाक, सम्पत्ति, उत्तराधिकार के नियम आदि में एक जैसे कानूनों से शासित होंगे तथा इन सभी के लिए राज्य को कानून बनाने का अधिकार होगा लेकिन संविधान के लागू होने के इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी तक हम समान नागरिक संहिता की स्थापना नहीं कर पाए हैं। अलग–अलग धर्मो के अपने निजी कानून अभी भी लागू है। कई प्रकरणों में न्यायालय के आग्रह के बावजूद भी हम ऐसा नहीं कर पाये हैं।

इसी तरह यह भी निर्देशक तत्वों में शामिल है कि राज्य गायों, बछड़ों और दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने के कदम उठाएगा। गाय को भारतीय समाज का बड़ा भाग न केवल पवित्र अपितु माँ के समान समझता है और गाय का न केवल धार्मिक महत्व है अपितु इसका आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण योगदान है। बावजूद इसके देश में अभी तक गौ हत्या पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई गई है। राज्य का यह भी कर्तव्य निर्धारित किया है कि वह कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करे। स्पष्ट है सरकार को इस ओर भी काफी प्रयास करने होंगे।

नागरिकों के मौलिक कर्त्तव्य

अधिकारों के साथ स्वाभाविक रूप से कर्त्तव्य की भावना जुड़ी होती है। कर्त्तव्यों के बिना अधिकारों का अस्तित्व ही सम्भव नहीं है। यद्यपि जब भारत का संविधान लागू हुआ, उस समय मौलिक अधिकारों के रूप में नागरिक अधिकारों का तथा निर्देशक तत्व के रूप में राज्य के कर्त्तव्यों का तो समावेश था, लेकिन नागरिक कर्त्तव्य संविधान में शामिल नहीं थे। हालांकि भारतीय परम्परा, मिथकों, धर्म, व्यवस्था और संस्कार परम्परा में कर्त्तव्य भावना सदैव विद्यमान रही है। "माता भूमिः पुत्रोऽहम् पृथिव्याः" के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए तथा "जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी" द्वारा राष्ट्र की एकता व अखण्डता के प्रति हमारे कर्त्तव्य बोध को स्पष्ट किया गया है।

42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में भाग 4–क व अनुच्छेद 51–क के द्वारा नागरिकों के मूल कर्त्तव्यों को संविधान में स्थान दिया गया है। हालांकि कर्त्तव्यों के उल्लंघन के आधार पर नागरिकों को दण्डित किया जा सकता है अथवा नहीं, इसके बारे में संविधान मौन है। अनुच्छेद 51–क भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य यह होगा कि वह–

1. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का आदर करे।
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोये रखे और उनका पालन करे।
3. भारत की सप्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखे।
4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध है।
6. हमारी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे।

7. प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उसका संवर्द्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे।
9. सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू सके।
11. यदि माता–पिता या संरक्षक है, छः वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

महत्वपूर्ण बिन्दु

1. संविधान किसी भी देश के शासन संचालन एवं राज्य और सरकार के आपसी संबंधों को निर्धारित करने वाला मौलिक एवं आधारभूत दस्तावेज होता है। अमेरिका के संविधान को विश्व का पहला लिखित संविधान माना जाता है।
2. भारतीय संविधान का निर्माण केबिनेट मिशन की योजना से हुआ था। संविधान सभा में निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरह के सदस्य थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर, 1946 को हुई थी। डॉ. राजेन्द्रप्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे।
3. संविधान निर्माण हेतु गठित विभिन्न समितियों में सबसे महत्वपूर्ण 'प्रारूप समिति' थी। इसके अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण डॉ. अम्बेडकर को 'भारतीय संविधान का जनक' माना जाता है।
4. भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। वर्तमान में इसमें प्रस्तावना के अलावा 12 अनुसूचियाँ, 22 भाग एवं 395 अनुच्छेद है।
5. भारतीय संविधान देश को संघात्मक, संसदात्मक, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है।
6. संविधान नागरिकों के लिए अनेक मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करता है, जिनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरूद्ध अधिकार, धर्म का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार व संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है।
7. नीति निर्देषक तत्व राज्य के लिए नैतिक कर्त्तव्यों का कार्य करते है। इनके लागू होने से नागरिकों का सामाजिक–आर्थिक कल्याण होगा तथा राज्य लोक कल्याणकारी राज्य होगा।
8. 42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा भाग 4–अ व अनुच्छेद 51–क के तहत नागरिकों के मूल कर्तव्य जोड़े गये है। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. भारतीय संविधान का निर्माण कौनसी योजना से हुआ?
   (क) माउण्टबेटन (ख) वेवेल
   (ग) केबिनेट (घ) क्रिप्स
2. संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई?
   (क) 9 दिसम्बर, 1946 (ख) 11 दिसम्बर, 1946
   (ग) 13 दिसम्बर, 1946 (घ) 6 दिसम्बर, 1946
3. भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ?
   (क) 26 जनवरी, 1950 (ख) 26 नवम्बर, 1949
   (ग) 30 जनवरी, 1948 (घ) 15 अगस्त, 1947
4. भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार हैं?
   (क) 7 (ख) 8 (ग) 5 (घ) 6
5. समान नागरिक संहिता का वर्णन कौनसे अनुच्छेद में है?
   (क) अनुच्छेद 44 (ख) अनुच्छेद 48
   (ग) अनुच्छेद 49 (घ) अनुच्छेद 50

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न

1. भारतीय संविधान निर्माण में कितना समय लगा ?
2. संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे ?
3. डॉ. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा?
4. मूल कर्त्तव्य कब शामिल किए गए?
5. संविधान के कुल कितने अनुच्छेद हैं?

लघूत्तरात्मक प्रश्न

1. समानता के अधिकार पर टिप्पणी लिखिए।
2. कोई चार नीति निर्देशक तत्व बताइए।
3. किन्हीं चार मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए।
4. संविधान की तीन विशेषताएँ बताइए।
5. स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या महत्व है।

निबन्धात्मक प्रश्न

1. भारतीय संविधान सभा का वर्णन कीजिए।
2. स्वतंत्रता के अधिकार पर टिप्पणी कीजिए।
3. किस तरह नीति निर्देशक तत्व राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य बताते हैं?
4. नागरिकों के मूल कर्त्तव्यों का वर्णन कीजिए।

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

(1) ग, (2) क, (3) ख, (4) घ, (5) क